न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/181

1. भैरू लाल पुत्र धन्ना लाल उम्र 80 वर्ष
2. शांति देवी पत्नी श्री भैयलाल उम्र 75 वर्ष।
3. ओमप्रकाश पुत्र छीतर उम्र 55 वर्ष

जातियान ब्राहम्ण, निवासी ग्राम–नयागांव तहसील दूदू, जिला जयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. छीतर पुत्र रामकरण।
2. सर्वदा कुमारी पत्नी छीतरमल जाति–जाट, निवासीगण–सावरदा तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर।
3. मोती पत्नी गोपीराम (मृतका विधिक वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5)
4. हनुमान पुत्र गोपीराम
5. रजबन पुत्र गोपीराम
6. काना पुत्र बीजा (मृतक) के वारिसान
   - 6/1 रोडू पुत्र काना
   - 6/2 रामजी लाल पुत्र काना
   - 6/3हरीराम पुत्र काना
   - 6/4 तेजकरण पुत्र काना
7. गणेश पुत्र बीजा (मृतक) के वारिसान
   - 7/1 रामेश्वर पुत्र गणेश
   - 7/2 रतन लाल पुत्र गणेश

   जातियान–जाट निवासीगण–नयागांव, तह0 दूदू, जिला जयपुर।
   तहसीलदार तहसील दूदू, जिला जयपुर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर दिनांक 13.11.2019 प्रकरण संख्या 10/2019 उनवानी छीतर बनाम तहसीलदार

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री भैरूलाल शर्मा
2. वकील रेस्पोडेन्ट श्री महेश कुमार चौधरी नं. 1, 2, 4, 5, 6/1 से 6/4, 7/1 से 7/2 की ओर से
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –07.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 13.11.2019 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 29.03.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ल0 7 प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 8/अप्रार्थी बाबत तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रार्थीगण के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 1720, 1723, 1902, 1903, 1905, 1907, 1908, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1919 कुल किता 13 कुल रकबा 6.7400 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नयागांव, तहसील दूदू की वर्तमान तरमीम हजफ की जाकर साबिक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नक्शा ट्रेस व साबिक नक्शा तकासमा एवं मौके कब्जे अनुसार नवीन तरमीम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. उप खण्ड अधिकारी दूदू, जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 13.11.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट भैरू लाल पुत्र धन्ना द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं प्रा. पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर दिनांक 13.11.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रेवेन्यू रिकार्ड दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत नजरंदाज कर गैर कानूनी रूप से विधि विरूद्ध पारित किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय बिना कोई प्रोपर पक्षकर कायम किये गये बिना विधिक मान्यता बिना विधिक प्रभाव विधिक महत्व एवं विधिक अस्तित्व नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय में रेस्पोडंट द्वारा प्रार्थना पत्र के मद सं0 1 में वर्णित सम्पत्ति बाबत कथन पर पैरा सं0 2 में उक्त भूमि का पक्षकारान के आपसी सहमति से तकासमा करवाने के तथ्य अंकित किये हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में तकासमा के पक्षकारान सहखातेदारान को पक्षकार कायम नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट को पक्षकार कायम किया गया है तथा पीड़ित व प्रभावी खातेदार को पक्षकार कायम किये बिना निर्णय पारित करवाया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के मद सं0 2 में बंटवारे के कथन अंकित पर सीमाज्ञान एवं मुस्तकिल मुटाम एवं कुऐ का अंकन किया है। जबकि प्रार्थना पत्र के मद सं0 1 में वर्णित सम्पत्ति का कभी सीमाज्ञान राजस्व ऐजेन्सी द्वारा नहीं किया गया न ही सीमाज्ञान बाबत कोई सीमाज्ञान रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा या प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। रेस्पोडेंट प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के मद सं0 2 में बंटवारे के कथन अंकित कर सीमाज्ञान एवं मुस्तकिल मुटाम एवं कुऐ का अंकन किया है। जबकि प्रार्थना पत्र के मद सं0 1 में वर्णित सम्पत्ति का कभी सीमाज्ञान राजस्व ऐजेन्सी द्वारा नहीं किया गया न ही सीमाज्ञान बाबत कोई सीमाज्ञान रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा या प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण ने अपने अनुतौष में मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम का अनुतोष चाहा है। जबकि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों अनुरूप कब्जे के आधार पर तरमीम करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। न ही कब्जे बाबत रेस्पोडेंट द्वारा राजस्व रिकार्ड या साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात भी अधीनसथ नयायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी सं0 1 व 7 का निवास स्थान नयागांव अंकित कर प्रार्थी संख्या 4 की बिना वल्दीयत आनन फानन में प्रकरण प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में अंकित किया कि मौके पर प्रार्थीगण की आराजीयात की मापचौक सही नहीं होकर गलत की जावेगी, मात्र अंदेशे के आधार पर अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेंट द्वारा अपने अनुतोष में पैरा सं0 1 में वर्णित की नक्शा तरमीम साबिक नक्शे व खसरा नम्बरान एवं कब्जे अनुसार नवीन तरमीम किये जाने के लिए अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट को साबिक ख0 नं0 5549, 5755, 5749/3, 5757 व 5753 कुल किता 6 कुल रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा की तरमीम संवत 2007 के प्रमाणित नक्शा ट्रेस से अहलदा तरमीम होना प्रमाणित है तथा इसी प्रकार अपीलांट सं0 1 व 2 के साबिक ख0 न0 4907 की तरमीम व रेस्पोडेंट सं0 3 के साबिक ख0 न0 4906 की नक्शा तरमीम अहलदा कायम हैं इसलिए साबक नक्शा ट्रेस के अनुरूप ही हाल नक्शा ट्रेस कामय की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय पारिरत करने में कानूनी भूल की है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट सं0 8 के द्वारा दिनांक 01.05.2019 को तथ्यात्मक रिपोर्ट

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत की गयी जबकि प्रकरण में विस्तृत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। तहसीलदार द्वारा विधि का आक्षेप बाबत प्रोपर पक्षकार संयोजित नहीं किये गये, कब्जे बाबत कोई रिकोर्ड प्रस्तुत नहीं किये जाने बाबत नहीं उठाये गये तथा रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मूक सहमति प्रदान की जिस पर अधीनसथ नयायालय द्वारा दिनांक 02.07.2019 को विस्तृत व स्पष्ट रिपोट्र प्रसतुत करने के आदेश प्रदान किये गये तत्पश्चात भी रिर्का के मुताबिक प्रभावी विस्तृत व स्पष्ट जवाबदेही प्रस्तुत नहीं कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी जबकि न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति प्रकट किये जाने का तहसीलदार दूदू का कर्तव्य था। परन्तु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी ने आपी सांठ गंट के तहत प्रोपर पक्षकार संयोजित नहीं कर निर्णय पारित करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र के मद सं0 2 में वर्णित साबिक ख0 नम्बरान के अलावा दीगर साबिक ख0 न0 अपीलांट ख0 नं0 4907 में प्रस्तातिव नक्शा में तरमीम करते हुये प्रस्तावित नक्शा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें तकासमा में वर्णित भूमि से इतर अपीलांट की खातेदारी में दक्षिण और धुसते हुए नवीन तरमीम का अंकन किया गया जबकि मुताबिक अनुतोष तकासमें में वर्णित भूमि व प्रार्थना पत्र के मद सं0 1 में वर्णित भूमि में ही तरमीम की जा सकती है। न्यायालय के समक्ष हाल ख0 न0 181, 1842 व 1869 में प्रस्तावित तरमीम नक्शा प्रस्तुत होने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पीड़ित पक्षकारान को सुनवायी का अवसर प्रदान नही किया तथा बिना सुनवाई का मौका दिये विधि विरुद्ध तरमीम बिना अनुतोष के निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। ख0 नं0 1841 के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर राज्य सरार द्वारा अपीलांट सं 1 व 2 को राज्य सरकार द्वारा बरसाती पानी जल संचय योजना के तहत 100ग्100 फीट फार्म पोण्ड का निर्माण करीब 15 वर्षो पूर्व राजय सरकार के आर्थिक सयोग से निर्माण किया गया हैं जिस पर मौके पर डिजल इंजन द्वारा सिंचाई की जाती रही है। उक्त तथ्यों को भी तहसीलदार द्वारा अपने रिपोर्ट में समाहित नहीं किया एवं रेस्पोडेंट से सांठगांठ कर सरसरी रूप रिपोर्ट तैयार कर अपीलाधीन निर्णय पारित कराने में कानूनी भूल की है। अपीलाधीन निर्णय की पालना में तरमीम किये जाने से अपीलांट का रकबा व नक्शा ट्रेस में तरमीमी में भिन्नता उत्पन्न हो गयी है तथा अपीलांट के खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है। तथा रेस्पोडेंट संख्या बल में अधिक होने से लाठी के बल पर उक्त तरमीम के आधार पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिये अपीलां प्रभावित पीड़ित पक्षकार हैं तथ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसलिये अलग से 96 सी.पी. सी. का आवेदन प्रस्तुत कर इजाजत प्राप्त कर अपील प्रस्तुत है। साबिक रकबा व हाल रकबा के अनुरूप हाल नक्शा ट्रेस व साबिक नक्शा ट्रेस अपीलांट की बरारी करने से मिलान नहीं हो रहा है। तथा नक्शे में तरमीम कम कर दी गयी है। तथा अपीलांट की तरमीम खं0 नं0 1841 के दक्षिणी ओर रेस्पोडेंट को करीब 2बीघा भूमि में अधिक तरमीम रेस्पोडेंट के हक में कर दी गयी है। जो कि अपीलाधीन निर्णय बिना पक्षकार कायम किये बिना सुनवायी का अवसर दिये की गयी है। मुताबिक तथ्य प्रार्थीगण को तकासमा से उक्त भूमि प्राप्त हुयी है। तकासमे से पूर्व साबिक ख0 न0 5549, 5550, 5755, 5756, 5749/3, 5750, 5751, 5753, 5757 कुल किता 9 कुल रकबा 53 बीघा 16 बिस्वा का तकासमा नामान्तकरण सं0 1351 दिनांक 15.10.1977 के द्वारा किया गया जिसमें ख0 नं0 5550, 5749,/3 5750, 5751, 5757 कुल किता 5 कुल रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा रामदेव पुत्र नाथू हिस्सा 1/3 मंगला पुत्र काना हिस्सा 1/3 व हरकरण पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3 के अनुरूप तकासमा किया जाकर ख0 न0 5549,5755, 5756, 5749/3, 5757, 5753 कुल किता 6 कुल रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा रेस्पोडेंट सं0 1 ल0 7 के पूर्वजों के रही रेस्पोडेंट ने भी अपने तरमीमी प्रार्थना पत्र में तकासमा के विपरीत तरमीम किये जाने के कथन अंकित किये है। परन्तु तकासमा में वर्णित खातेदारान व सहहिस्सेदारान को प्रकरण में पक्षकार कायम नहीं किया गया है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी क्योंकि पक्षकार कायम नहीं किया गया था। हाल ही दिनांक 20.03.2022 को चने की फसल हेतु टोकन कटवाने के लिये पटवार हल्का से जमाबी व नक्शा ट्रेस व गिरदावरी बाबत सम्पर्क किया तो उक्त गलत

राजस्व अपील प्राधिकारी आयुक्त
जयपुर

तरमीम की प्रथम बार जानकारी हुयी है। तत्पश्चत विधिक राय ली जाकर अविलम्ब अपील अपीलांट प्रस्तुत है। अलग से दफ 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इजाजत प्राप्त कर ली गयी है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 प्रार्थना पत्र सं0 10/2019 उनवानी छीतर बनाम तहसीलदार के निर्णय एवं निर्णय की पालना में की गयी तरमीम कार्यवाही निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ल0 7 प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 8/अप्रार्थी बाबत तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी समंत 2070–2073 के आराजी खतौनी संख्या 91 के आराजी खं. नं. 1720 रकबा 0.6400 है. ख.न. 1723 रकबा 0.4000 है., खं. नं 1902 रकबा 0.3500 है. खसरा नंबर 1903 रकबा 0.200 है. खं. नं. 1905 रकबा 0.6800 है0 ख0 नं0 1907 रकबा 1.0500 है0, ख0 न0 1908 रकबा 1.000 है0, ख0 न0 1911 रकबा 0.3400 है0, ख0 न0 1912 रकबा 0.8000 है0 ख0 न0 1913 रकबा 0.2000 है0, ख0 न0 1914 रकबा 0.4200 है0, ख0 न0 1915 रकबा 0.600 है0, ख0 न0 1919 रकबा 0.0600 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 6.7400 है0 भूमि वाके ग्राम नयागांव तहसील दूदू जिला जयपुर में जिसके वादीगण एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर मुताबिक अपने हिस्से अनुसर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त अराजीयात वादीगण व अन्य खातेदारान की आराजीयात रही है जिसका पक्षकारान ने आपसी सहमति से मौके पर तकासमा करवा लिया विवादित अराजीयात वादीगण के हिस्से में आयी है जिसको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया हैं उक्त आराजीयात के साबिक ख0 न0 5549, 5550, 5755, 5756, 5749/3, 5750, 5751, 5753, 5757 कुल किता 9 कुल रकबा 53 बीघा 16 बिस्वा जो पक्षकारान के मध्य सहमति से तकासमा हुआ है साबिक ख0 न0 5549, 5755, 5756, 5749/3 5757, 5753 कुल किता 6 कुल रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा जिसके हाल ख0 न. पैरा सं0 1 में वर्णित किये गये हैं प्रार्थीगण के हिस्से में आयी मुताबिक ख0 न0 सीमाज्ञान के तहत मुश्तकिल मुटाम (स्थायी चिन्ह कुये के अनसुार) पूर्वजों के समय से स्थित कुये के अनुसार नापचौक की गयी जिसकी तरमीम साबिक ख0 स0 अनुसार ही की गयी है। उसी अनुसार प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजयात पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। नवीन सेटलमेंट साबिक नक्शे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम नहीं की जाकर उपरोक्त विवादित आराजीयात के ख0 न0 की तरमीम गलत कर दी गयी प्रार्थीगण की आराजीयात की तरमीम कब्जे अनुसर न कर अन्य ख0 न0 में कम ज्यादा बढा दी गई जिससे उपरोक्त ख0 न0 की तरमीम गलत हो गयी जबकि राजस्व रिकार्ड में मुश्तकिल मुटाम (मुटाम चिन्ह कुये के अनुसार) नाप चौक करने से हाल ख0 न0 की तरमीम गलत कर दी गयी है जिससे मौके पर प्रार्थीगण की आराजीयात की नापचौक सही नहीं होकर गलत की जायेगी जिससे प्रार्थीगण की आराजीयात को लेकर अन्य व्यक्तियों से अनावश्यक वैमनश्यता व मुकदमेबाजी बढ़ जायेगी। प्रार्थीगण ने तरमीम दुरूस्त व सही किये जाने बाबत अप्राथी के यहां दिनांक 12.01.2019 को प्रार्थना पत्र पेश किया व शुद्ध करने के लिए कहा तो अप्रार्थी के कारकुनानों द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अनुतोष चाहा कि पैरा सं0 1 में वर्णित की नक्शा तरमीम साबिक नक्शे व ख0 न0 एवं कब्जे अनुसार नवीन तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रार्थीगण के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 1720, 1723, 1902, 1903, 1905, 1907, 1908, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1919 कुल किता 13 कुल रकबा 6.7400 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नयागांव, तहसील दूदू की वर्तमान तरमीम हजफ की जाकर साबिक नक्शा ट्रेस व साबिक नक्शा तकासमा एवं मौके कब्जे

राजस्व आयुक्त
जयपुर

अनुसार नवीन तरमीम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 20.03.2022 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट प्रभावित एवं पक्षकार हैं। इसलिये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील पेश करने के अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ल0 7 प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 8/अप्रार्थी बाबत तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम का पेश करने पर तहसीलदार दूदू जिला जयपुर से प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यात्मक रिपोट तलब की गयी। तहसीलदार दूदू जिला जयपुर से उनके पत्र क्रमांकः भू.अ./2019/2828 दिनांक 06.09.2019 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार दूदू ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया है कि " बिन्दु संख्या 1 में दर्ज भूमि के वादीगण एकमात्र खातेदार कृ ाक है, जो सही है बिन्दु संख्या 2 में वादीगणों को बिन्दु संख्या 1 में दर्ज भूमि जरिये तकासमा से प्राप्त हुयी थी तकासमा में नक्शे में दर्शाये गये रंग एवं कब्जे के अनुसार तरमीम होनी चाहिये थी, परन्तु वादीगणों की खातेदारी भूमि की तरमीम मुताबिक कब्जा एवं तकासमा नक्शा (रंग के अनुसार) नहीं होकर अलग ढंग से कर दी, जो गलत है, अतः साबिक नक्शा तकासमा के अनुसार नक्शे में दर्शायी रंग के अनुसार तरमीम किया जाना उचित है वादीगणों के हिस्से में आई भूमि जो तकासमा से आयी है, उसकी तरमीम नक्शा के अनुसार न होकर इतर तरीके से करने पर अशुद्वि उत्पन्न हुयी है। अतः साबिक रिकार्ड एवं साबिक नक्शा तकासमा की तरमीम किया जाना उचित है के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रार्थीगण के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 1720, 1723, 1902, 1903, 1905, 1907, 1908, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1919 कुल किता 13 कुल रकबा 6.7400 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नयागांव, तहसील दूदू की वर्तमान तरमीम हजफ की जाकर साबिक नक्शा ट्रेस व साबिक नक्शा तकासमा एवं मौके कब्जे अनुसार नवीन तरमीम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर) द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.2019 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर) दिनांक 13.11.2019 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर